

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

अकादमिक/अ०म०/2021/1282

रीवा, दिनांक 19/8/21


संशोधित अधिसूचना

अनुशानुसार, अधिसूचना क्रमांक/अकादमिक/अ०म०/2021/1044 दिनांक 05.08.2021 में संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत जीवनविज्ञान संकाय अन्तर्गत जैव प्रौद्योगिकी के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्ययन मण्डल की कार्यवाही इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी :-

जैव प्रौद्योगिकी अध्ययन मण्डल


अधिनियम	28(2) एक	1.	रिक्त
	28(2) दो	1	डॉ० जया सिंह, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, जैव प्रौद्योगिकी, श्री रामाकृष्णा कालेज ऑफ कामर्स एवं साइंस, सतना (म०प्र०)
		2.	रिक्त
	28(2) तीन	1	रिक्त
	28(2) चार	1	डॉ० आशुतोष गुप्ता, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, जैव प्रौद्योगिकी, पेन्टियम प्वाइंट टेक्निकल महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
		2.	रिक्त
	28(2) पाँच	1	डॉ० अंजली चौधरी, प्राध्यापक, जैव प्रौद्योगिकी, कैरियर महाविद्यालय, भोपाल (म०प्र०)
		2.	डॉ० शीरेन्द्र साहू, सहायक प्राध्यापक, प्राणिशास्त्र, शारदा विवेकानंद महाविद्यालय, मैहर, सतना (म०प्र०)

अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत डॉ० जया सिंह को जैव प्रौद्योगिकी अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम संशोधित किया जाता है।


कुलसचिव 19.8.21

प्रतिबन्धित सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म०प्र०)
- 2 उपर्युक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म०प्र०)
- 3 अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
- 4 संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
- 5 संकायाध्यक्ष, जीवनविज्ञान संकाय।
- 6 कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
- 7 निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म०प्र०)
- 8 सहायक कुलसचिव-गोपनीय विभाग, अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
- 9 कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)